कार्यालय कलेक्टर, बस्तर जिला, जगदलपुर

–ज्ञापन–

क्रमांक क/भू–अर्जन/05/अ–82/2016–17 जगदलपुर दिनॉक 21/ जुलाई/ 2017

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,
जिला कार्यालय जगदलपुर।

विषय :– भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन ।

–0000–

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे विशाखापटनम के प्रस्ताव अनुसार जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाईन निर्माण कार्य के लिए ग्राम **परपा** , पटवारी हल्का नंबर 13 ,राजस्व निरीक्षक मण्डल जगदलपुर (अ) , तहसील जगदलपुर की निजी भूमि खसरा नंबर **106** रकबा **0.32** हेक्टेयर अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः भमि–अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) संबंधी अधिसूचना की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है । कृपया अधिसूचना कलेक्टर बस्तर के बेवसाईड पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

21/7/17

(धनंजय देवांगन)
कलेक्टर,
बस्तर जिला

कार्यालय कलेक्टर, जिला बस्तर एवं पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक क/भू–अर्जन/05/अ–82/2016–17 जगदलपुर दिनॉक 21 जुलाई, 2017

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :–

— अनुसूची —

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/प.ह.नं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टयेर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बस्तर	जगदलपुर	परपा /13	106	0.32	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे, डी0आर0 एस0 काम्पलेक्स, डोन्डापरती, विशाखापटनम	जगदलपुर से सिलकझोड़ी तक डबल रेल लाई निर्माण हेतु।
योग :–			01	0.32		

2/ यह भी सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता,लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षो के बारे में अपना दावा /आपत्ति लिखित में अनुविभागीय अधिकारी (रा0)/ भू–अर्जन अधिकारी जगदलपुर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उप– धारा (1) के अतंर्गत प्रस्तुत कर सकेगा ।

3/ भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू–अर्जन अधिकारी जगदलपुर / उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पूर्व तट रेल्वे विशाखापटनम के कार्यालय में किया जा सकता है।

4/ प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है ।

5/ प्रस्तावित प्रयोजन के भू–अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक सामाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रुप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(धनंजय देवांगन)
कलेक्टर जिला बस्तर
एव पदेन उप सचिव,छत्तीसगढ़
शासन राजस्व विभाग